न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 170/14 निर्णय दिंनाक 25.05.2017

1. देवलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
2. बाबूलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा।
3. रमेशचंद पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा।
4. किशोरीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी कजोडलाल जाति बैरवा निवासी आमली घटाल तहसील सांगोद।
5. सम्पतबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रमेशचंद जाति बैरवा निवासी धाकडखेडी वाया अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :-

वादीगण स्वंय
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेडली काकूनिया पटवार क्षेत्र बालूहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में वर्तमान खसरा नंबर 445 की 0.32 है0, कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक खसरा नंबर 116 मि. रकबा 02 बीघा रहे है, उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता श्री भेरिया पुत्र गोमदा जाति चमार निवासी खेडली काकूनिया तहसील सांगोद के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है। साबिक खसरा नंबर 116 रकबा 02 बीघा कृषि भूमि वादीगण के पिता को पुराना कब्जा होने की वजस से नियमन की गई थी, जिस पर उनके जीवनकाल में उनका कब्जा रहा, तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त कृषि भूमि वादीगण के शांति पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

उपयोग उपभोग में चली आ रही है वादीगण के पिता श्री भैरिया का स्वर्गवास दिंनाक 16.06.1989 को ग्राम बालूहेडा में हो चुका है।

यह कि उक्त कृषि भूमि वादीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है, जिस पर वादीगण के खाते की अन्य कृषि भूमियों की खाते की नकल प्राप्त की तो उनकी जानकारी में आया कि वादीगण के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उनके खाते की उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों ने वगैर भूमि के वास्तविक कब्जे की जांच पडताल किये बगैर स्व0. श्री भेरिया पुत्र गोमदा के वारिसान की जांच किये मनमानितरीके से स्व. श्री भेरिया पुत्र गोमदा के खाते में दर्ज मि0 116 की 02 बीघा कृषि भूमि को किसी नाथूलाल नाम के अनजान व्यक्ति को पुत्र बताकर उक्त भूमि को नाथूलाल के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया है, जबकि नाथूलाल नाम को कोई भी व्यक्ति कभी भी मृतक भैरिया पुत्र गोमदा का जीवित अथवा मृत पुत्र नंही रहा है, और नंही नाथूलाल पुत्र भेरिया के नाम से कभी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत बालूहेडा के क्षेत्राधिकार में निवास किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी ने सहवन से वादीगण के पिता के खाते में दर्ज उक्त विवादित कृषि भूमि को वादीगण के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जिसका कोई अस्तित्व नंही है, दर्ज कर दिया है। राजस्व रेकार्ड में किया गया ऐसा कोई इन्द्राज उक्त विवादित भूमि में वादीगण के हितों के विपरीत होने से बेअसर है, तथा वादीगण के हितों पर कोई असर नंही रखता है, परन्तु ऐसे गलत इन्द्राज से वादीगण अपने पिता के खाते में दर्ज उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग नंही कर पा रहे है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम खेडली काकूनिया पटवार क्षेत्र बालूहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में वर्तमान खसरा नंबर 445 की 0.32 है0, कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक खसरा नंबर 116 मि. रकबा 02 बीघा रहै, तथा जो वादीगण के पिता श्री भेरिया पुत्र गोमदा के नाम से नियमन हुई थी जिसका खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरूस्त करते हुये खसरा नंबर 445 की 0.32 है0, कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित विवादग्रस्त इन्द्राज नाथूलाल पुत्र भैरिया नामा0 स0 119 दिंनाक 16.06.1989 के आदेश तहसीलदार के निर्णय से अंकित हुआ है जिसकी सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर उक्त नामान्तकरण को खारिज करवाया जाना अपेक्षित थाा किन्तु वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में घोषणात्मक दावा लाया गया है, वादीगण द्वारा साबित करने पर कि वे मृतक भैरिया पुत्र गोमदा के असली वारिस है, तो वाद ग्रस्त इन्द्राज के स्थान पर उनको खातेदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नंही है। जवाब सरकार बाद शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई मौका पर्चा तैयार किया गया गया मौके पर वादी व अन्य मौत विरान व्यक्ति से पुछताछ करने पर बताया कि खसरा नंबर 445 रकबा 0.32 है0 भूमि भेरिया पुत्र गोमदा को नियमन हुई थी जिसके वारिसान भैरूलाल, बाबूलाल, रमेशचंद, वगैरा ही है, से ही व्यक्ति इस आराजी को काश्त करते है, तथा वर्तमान में ही काबिज है। कथन की पुष्टि हेतु उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर कराए गऐ साथ ही बताया कि नाथूलाल पुत्र भेरिया कौम चमार नाम का व्यक्ति ग्राम में नंही है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेंजों का अवलोकन पर हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम खेडली काकूनियां के खसरा नंबर 445 की रकबा 0त्र32 है0, भूमि भेरिया पुत्र गोमदा को नियमन हुई थी जिसके असली वारिस वादीगण हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेडली काकूनिया पटवार मण्डल बालूहेडा के वर्तमान खसरा नंबर 445 की 0.32 है0, कृषि भूमि का खातेदार वादीगण 01 लगायत 05 को घोषित किया जाता है तथा उक्त खाते से नाथूलाल पुत्र भेरिया जाति चमार का नाम खारिज किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिंनाक 25.05.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

बउनवान

1. देवलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा तहसील कनवास।
2. बाबूलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा।
3. रमेशचंद पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बालूहेडा।
4. किशोरीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी कजोडलाल जाति बैरवा निवासी आमली घटाल तहसील सांगोद।
5. सम्पतबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी रमेशचंद जाति बैरवा निवासी धाकडखेडी वाया अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं 170/14 सन 2014 निर्णय दिंनाक 25.05.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम खेडली काकूनिया पटवार मण्डल बालूहेडा के वर्तमान खसरा नंबर 445 की 0.32 है0, कृषि भूमि का खातेदार वादीगण 01 लगायत 05 को घोषित किया जाता है तथा उक्त खाते से नाथूलाल पुत्र भेरिया जाति चमार का नाम खारिज किया जावे। व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/05/2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(प्रमोद कुमार आर ए एस)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत

उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ""	----------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा ""	----------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा ""			स्टाम्प अर्जी ""		
स्टाम्प वजह सबूत ""			महनताना वकील ""		
महनताना वकील ""			खर्चा गवाहान ""		
खर्चा गवाहान ""			फीस कमिश्नर ""		
फीस कमिश्नर ""			बाबत इजराय हुकमनामा""		
बाबत इजराय हुकमनामा ""			मुतफर्रिक ""		
मुतफर्रिक ""			मीजान ""		
मीजान ""					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास